

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या:- प्राथि/परिषद/सम्बद्धता/2021/ 6333

लखनऊ दिनांक 30/10/2021

(कार्यालय साप)

अधिन आदेशीय तस्वीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कर्मचारी कल्याणिक अंश इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा दिक नं 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तस्वीकी शिक्षण संस्थाओं के अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ के सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 8-8-2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सन 2021-22 हेतु आवेदित गई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्ण से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता चुनि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सन 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ द्वारा सन 2021-22 हेतु निम्नोक्तित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	सन 2021-22 हेतु पीसीएमएई द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता
01	1053 प्राथमिक कनिष्ठ शोध पाठशाला, सखवात मण्डी, बाराणसी-220001	द्वितीय श्रेणी-00	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ९०/आइएसी/टी/टी/टी/पी/सी/टी/आइ/टी द्वारा निर्धारित की जाती सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवर्षाकी 1992, सेनेटर विनियमवर्षाकी 2016 तथा अन्य निम्नलिखित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क, तैम वर्षीय इमीड पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 10150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यक्षेत्री पाठ्यक्रम हेतु ₹० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तर्मा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यक्षेत्री पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय समय पर शर्तों द्वारा निर्गत किये जाने वाले आसनारदेश प्रमाणी होंगे, जो तदुसार कार्यवाही किये जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा प्रति सन 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (3000 प्राथमिक शिक्षा समितियां तथा 30 समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किये जायें) विनियमवर्षाकी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत आसनारदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ९०/आइएसी/टी/टी/टी/पी/सी/टी/आइ/टी से आयागी सन हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/आसनारदेशों/निर्देशों एवं विदेशित, प्राथमिक शिक्षा, 3000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3000 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3000 द्वारा किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।



- ✓ विद्यार्थियों द्वारा कार्यक्रम की संस्थाएं बट्टी पी.बी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में सफल रहती है। जो इस संस्था में सफल उपरदायित्व संस्था का इतिहास और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश, प्राथमिक शिक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार को कोई फाइल दावर किया जाता है तथा इसका फाइल के संदर्भ में जो न्यायपालिका द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संस्था को जमाया निर्गत किया जाता है जो सरकार प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को वापसी होगी।
- ✓ विद्यार्थियों द्वारा कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु सहायित्वित प्रदान होने के तुरंत पी.बी.आई.पी. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अथवा उन्हें प्रदेश की (कार्यालयों के माध्यम से) अथवा संस्था स्तर पर सीधे परिषद) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उच्च प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत महीनारूप आवेदन पत्रों का अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सफल सूचनाएं जैसे संस्था की वित्तीयिक प्रति प्रति, स्ट्राट, कार्य-समय, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुविधा, उपकरण सुविधा आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को विज्ञान-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त प्रत्येक उपलब्ध करने के साथ प्रतिशत होने के समन्वय में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ने कि संस्था में प्रस्तावित/ संयोजित पाठ्यक्रम को प्रचारित करने हेतु शिक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अधिपति, भूमि-कार्य, कर्तव्य, उपकरण इत्यादि का प्रति संस्था द्वारा लिखी अन्य सहायित्व के संवादन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी कार्यवाही होती है कि संस्था उपरान्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है जो उत्तम संस्था की सहायित्व समस्त विवेक जाने की अनुमति दी जाएगी।
- ✓ संस्था के संबंधित शिक्षण टीका प्रति संस्था में भूमि, मूल, व्यवसाय, उपकरण एवं अन्य कार्य-समय १००१००००००००/१००१००००००/परिषद के सहायित्व उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जो संस्था की सहायित्व बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सहायित्व कार्य का अनुपालन न किये जाने अथवा कार्य का उपलब्ध विवेक जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुसंधानकर्ता कार्यवाही की जाएगी।

1
(सुनील कुमार शंकर)
सचिव।

सूचिका-प्राथमिक/परिषद सहायित्व/2021/ 6334-6374

दिनांक 30/10/2021

पते-सिद्धि-पटनाकर/निदेशालय, ए.टी.एम. बोलिंग ब्रीच गार्मेंटी, नगरपालिका, काठमाडौं-250001


(सुनील कुमार शंकर)
सचिव।

कार्यालय

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विभागाध्यक्ष

उत्तर प्रदेश (अखण्ड)

संस्था- राष्ट्रीय परिषद सन्बद्धता 2022/7817

अखण्ड दिनांक- 30/08/2022

कार्यालय नमः-

राष्ट्रीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेटिक्स, नई दिल्ली) द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदित प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प० अखण्ड से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संवत् 7817। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से अखण्ड संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नवीं पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प० अखण्ड द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उनमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1953-SARVODAYA COLLEGE OF PHARMACY			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	40	40

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमों 1982, विनियमों 2000, रेगुलेशन विनियमों 2015 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30160.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक इंस्टीट्यूट पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक फार्सी पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाता आवश्यक होगा। किस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीज का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीज की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि विनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/चिट्ठियों एवं सिदेराफ, प्राविधिक शिक्षा, उ०प०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प० द्वारा बनाये गये विनियमों, विनियमों,

आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए0आइ0सी0टी0ई0वी0सी0आइ0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में सम्बन्धित उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के लिखत बंदि बंधे वाद टाकर किया जाता है तथा टाकर वाद के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्बन्धित प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्चतम द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग कार्यक्रम होने के पूर्व ए0आइ0सी0टी0ई0वी0सी0आइ0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उक्त प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत तर्जिमत आरक्षण सिध्दों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्बन्धित सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक दृष्टि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला भूदान, छात्रावास भूदान आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त सातावरण उपलब्ध कराने के साथ रोगीय रोकने के सम्बन्ध में सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परतंत्रित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निर्देशन समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भजन, जमीन, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्थायी निर्माण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आइ0सी0टी0ई0वी0सी0आइ0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विद्यमानुसार अनुशासनानुसार कार्यवाही की जायेगी।



(एफ0आर0 सी. आर.)

सचिव

पू0सं0- प्राविधिक परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

पत्रिकादि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SARVODAYA COLLEGE OF PHARMACY



(एफ0आर0 सी. आर.)

सचिव

- ✓ इसमें कुछ आवश्यक गिज (अतिरिक्त और उपरिचिंतित) कीमतों का उल्लेख किया गया है। विशेषकर, 2022 के प्राविण्यपत्रों की शर्तों से इसे बदलती हैं। सबसे और कमीशनों के प्रयोग का प्रयोग के आधारों के लिए प्रयोग के अधिकांश के प्रयोग।
- ✓ छात्रों के अंतर्गत प्रमुख विद्यालय के दौरान यदि छात्रों में सुनि, धरत, समीक्षा, उत्तराव पर अन्य उच्च-तरता पर्यवेक्षण/पर्यवेक्षण/पर्यवेक्षण/पर्यवेक्षण के परस्परगत्य प्रयोगों से भ्रम उत्पन्न है तो छात्रों की उत्तरदायी उत्तरदायी को ही जाननी।
- ✓ उत्तरदायी शर्तों का अनुसरण के लिए उन्हें उत्तरदायी का उत्तरदायी शर्तों की शर्तों में विद्यार्थियों अनुसरण/उत्तरदायी उत्तरदायी की जाननी।



(अशोक कुमार सिंह)
व्यक्ति

संज्ञा: प्राविण्यपत्र संख्या 2023/12090002-12091238

दिनांक: 12-09-2023

स्थिति:-
मुख्यालय, SARWODAYA COLLEGE OF PHARMACY



(अशोक कुमार सिंह)
व्यक्ति